भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 68\***

**08 फरवरी, 2019 को उत्तरार्थ**

**विषय: स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन**

**\*68. श्री राम कुमार कश्यपः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार की स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समग्र लागत का 1.5 गुना तय करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति की सिफारिश को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को स्वामीनाथन समिति की उपर्युक्त सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या 14 में से 10 खरीफ़ फसलों का बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री**

**(श्री राधा मोहन सिंह)**

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**‘‘स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का कार्यान्वयन’’ के बारे में दिनांक 08.02.2019 को उत्तर के लिए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न संख्यां 68 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख) डा.एम.एस.स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग (एनसीएफ) ने यह सिफारिश की थी कि न्यू्नतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तथापि, जब तत्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 को अंतिम रूप दिया गया था तब उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने की इस सिफारिश को शामिल नही किया गया था।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि और जल जैसे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के युक्ति संगत उपयोग सहित उत्पादन लागत तथा कई अन्य कारकों जैसे मांग-आपूर्ति स्थिति, घरेलू और अंतर राष्ट्रीय मूल्यों में प्रवृत्तियों, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों और उपभोक्ता तथा समग्र अर्थव्यवस्था पर एमएसपी के संभावित प्रभाव पर विचार करता है। विचार की गई लागतें व्यापक है और इसमें सभी अदा की गई लागतें जैसे किराया मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम के लिए व्यय, भूमि में पट्टे के लिए दिया गया किराया, बीज, उर्वरक, खाद जैसे भौतिक आदानों के उपयोग के लिए नकद या वस्तु के रूप में व्यय, सिंचाई प्रभार, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्यहृास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पम्प सैटों आदि के प्रचालन के लिए डीजल/बिजली का व्यय आदि, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है।

2018-19 के केन्द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुणा के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 के लिए सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ एमएसपी में वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक था क्योंकि यह पहली बार सभी अधिदेशित फसलों के लिए अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देने के किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करता है।

(ग) कृषि उत्पाद के मूल्य दैनिक आधार पर बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। कृषि उत्पाद के मूल्य कटाई के बाद नई फसल के बाजार में बृहत मात्रा में आने के कारण कम हो जाते हैं। जनवरी, 2019 के महीने के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी और मासिक औसत थोक मूल्य **अनुबंध-1** में दिया गया है।

**अनुबंध-1**

**दिनांक 08.02.2019 को उत्‍तर के लिए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 68 के भाग (ग) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुबंध**

**एमएसपी और मासिक औसत थोक मूल्‍य**

 **(रूपए प्रति क्‍विंटल)**

|  |  |
| --- | --- |
| **क्र.सं** | **जिन्‍स** |
| **खरीफ फसलें** | **एमएसपी****2018-19** | **थोक मूल्‍य (जनवरी, 2019)** |
| 1 | धान (सामान्‍य) | 1750 | 1773 |
| 2 | ज्‍वार (हाईब्रिड) | 2430 | 2602 |
| 3 | बाजरा | 1950 | 1907 |
| 4 | मक्‍का | 1700 | 1770 |
| 5 | रागी | 2897 | 2779 |
| 6 | अरहर (तूर) | 5675 | 4940 |
| 7 | मूंग | 6975 | 5938 |
| 8 | उड़द | 5600 | 5301 |
| 9 | कपास (मध्‍यम रेशे)  | 5150 | 5364 |
| 10 | मूंगफली छिलके सहित | 4890 | 4773 |
| 11 | सूरजमुखी बीज | 5388 | 3569 |
| 12 | सोयाबीन (पीला) | 3399 | 3734 |
| 13 | तिल | 6249 | 10200 |
| 14 | रामतिल | 5877 | 4160 |

\*\*\*\*\*